# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 7/2015

हरजिन्द्रसिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 21 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. बलदेवसिंह पुत्र जोगासिंह जाति जटसिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 26.12.2014

उपस्थित–

श्री जीतपालसिंह सैनी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रामप्रकाश गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो संख्या 1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 02.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत पेश कर चक 8 क्यू के मु.नं. 14 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अप्रार्थी/रेस्पों. ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 26.12.2014 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

2/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। अपीलांट द्वारा रास्ता स्वीकृत करने हेतु अधी.न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया। अपीलांट को रास्ता की नितांत आवश्यकता है। अधी. न्यायालय ने रिकार्ड के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.टी 2016(2) पेज 1281, आर. आर.टी. 2017(1) पेज 342 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जो चल रहा है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 26.12.2014 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट को अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता स्वकृति का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जबकि अपीलांट को अपने खेत में पहुंचने के लिए रास्ते की absolute आवश्यकता है। अतः अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए मु.न. 14 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता स्वीकृत करने का आवेदन किया था परन्तु तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट कमांक राजस्व / 14 / 1738 दिनांक 25.08.2014 में मु.न. 14 के कि.न. 21, 22, 23, 24, 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता है मौके पर चला रहा है बाबत अधी.न्यायालय का विवेचन है कि तहसीलदार को दोनों रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे का अवलोकन किया तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 25.08.14 जो बाद में प्राप्त हुई है में यह दर्शाया है कि प्रचलित रास्ता मु.नं. 15 के कि.नं. 3, 8, 13, 18 ,23 में सुविधाजनक पंहुच है तथा मु.नं. 15

2/2/18

में कि.नं. 21 से 25 में पक्की सड़क है। जहां नये रास्ते व प्रचलित रास्ते को मंजुर करने में प्राथमिकता का प्रश्न है वहां प्रचलित रास्तों को मंजूर करने को प्राथकिता होनी चाहिए। 251ए का उद्देश्य खेतों तक रास्ता उपलब्ध करवाना है। सुविधाजनक रास्तों के लिये रास्तों का दोहराव किया जाना उचित नहीं है क्योंकि इससे कृषि भूमि की कमी होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र सुविधाजनक रास्ता प्राप्त करने की श्रेणी में आने के कारण पोषणीय नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। विधिक विवेचन होने से अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर